47664 - हेयर ट्रांसप्लांट (केश प्रत्यारोपण) सर्जरी का हुक्म

प्रश्न

क्या मेरे लिए बाल प्रत्यारोपण सर्जरी कराना जायज़ है? ज्ञात रहे कि मुझे गंजापन है, और क्या यह बाले जोड़ने की तरह हराम (वर्जित) है या नहीं?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

बाल प्रत्यारोपण से अभिप्राय : एक ही व्यक्ति के सिर पर उसके बाल की जड़ों (फॉलिकल्स) को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण है। इसका हुक्म यह है कि यह अनुमेय है, क्योंकि इसका उददेश्य एक दोष को दूर करना है, अल्लाह की रचना को बदलना नहीं है।

शैख मुहम्मद बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया :

गंजेपन से पीड़ित व्यक्ति के लिए बाल का प्रत्यारोपण किया जाता है, इस प्रकार कि सिर के पिछले हिस्से से बाल निकालकर प्रभावित जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो क्या यह जायज़ है?

तो उन्होंने उत्तर दिया :

हाँ, यह जायज़ है। क्योंकि यह उस चीज़ को बहाल करने के शीर्षक के अंतर्गत आता है जिसे अल्लाह ने बनाया है, तथा यह दोष को दूर करने के अध्याय से है। यह सौंदर्यीकरण के अध्याय से, या जो सर्वशक्तिमान अल्लाह ने बनाया है उसपर वृद्धि नहीं है। इसलिए यह अल्लाह की रचना को बदलने के अध्याय से नहीं है। बल्कि यह उसमें होने वाली कमी को बहाल करना और दोष को दूर करना है। तथा उन तीन लोगों की कहानी से जो इंगित होता है, वह गुप्त नहीं है, जिनमें से एक व्यक्ति गंजा था और उसने बतलाया कि वह चाहता है कि अल्लाह उसके बालों को बहाल कर दे। इसलिए फरिश्ते ने उसपर हाथ फेरा और अल्लाह ने उसके बालों को बहाल कर दिया तथा उसे सुंदर बाल प्रदान किए।

“फतावा उलमाइल-बलदिल–हराम” (पृष्ठ : 1185)

शैख रहिमहुल्लाह ने जिस हदीस की ओर संकेत किया है, उसे बुखारी (हदीस संख्या : 3277) और मुस्लिम (हदीस संख्या :

2964) ने रिवायत किया है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।